डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: R/221/ 2020
दिनांक 16-09-2020

सेवा में,

1. प्राचार्य / प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. निदेशक / निदेशिका / विभागाध्यक्ष,
   आवासीय परिसर के समस्त संस्थान / विभाग।
3. प्रो॰ मनोज उपाध्याय,
   समन्वयक, विश्वविद्यालय ई–कन्टेन्ट समिति।
4. प्रो॰ मो॰ अरशद,
   टैक्नीकल सलाहकार
5. समस्त सदस्यगण, ई–कन्टेन्ट समिति
   डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय:–उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी के सुदृढ़ करने हेतु माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह घोषित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2154 / सत्तर–3–2020–08(40) / 2020 दिनांक 11.09.2020 एवं संख्या–2170 / सत्तर–3–2020–08(40) / 2020 दिनांक 14.09.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें शासन द्वारा ई–कन्टेन्ट के आधार पर संस्थाओं / शिक्षकों को प्रोत्साहित / पुरूस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है तथा योजना की प्रकिया के सम्बंध में अवगत कराया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अधिक से अधिक ई–कन्टेन्ट उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव (शैक्षिक)
3. गार्ड फाइल।
4. एजेन्सी 2015-20 को कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 2170 /सत्तर–3–2020–08(40)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनाँक: 14 सितम्बर, 2020**

विषयः–उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी के सुदृढ़ करने हेतु माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या 2140/70–3–2020–08(40)/2020 दिनांक 10–09–20 एवं शासनादेश सं0–2154/70–3–2020– 08(40)/2020 दिनांक 11–09–20 के द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी हेतु तैयार किए जाने वाले ई–कंटेंट के लिए पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना बनाई गई है, जिससे शिक्षकों को ई–कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश में संचालित सभी विषयों के ई–कंटेंट उपलब्ध हो सके।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई–कंटेंट की गुणवत्ता/पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निम्न प्रकार के ई–कंटेंट को ही पुरस्कार/प्रोत्साहन में सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के कॉपीराइट का उल्लघंन होने पर उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक का होगा।

1– **शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित न किये गये ई–कंटेंट** :–

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित ई–कंटेंट पोर्टल का उददेश्य छात्रों को इंटरनेट पर उपलब्ध ई–कंटेंट के समुद्र में से सटीक एवं सही जानकारी वाले ई–कंटेंट को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इसलिये शिक्षकों का दायित्व है कि वे सटीक एवं सही जानकारी वाले ई–कंटेंट का चयन कर उनके लिंक अपलोड करें। इसी उददेश्य से इस श्रेणी के ई–कंटेंट को भी योजना में निम्न प्रकिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है:–

- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों के पाठ्यकम से संबंधित जो ई–कंटेंट इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध है, उसके लिंक को जो शिक्षक सर्वप्रथम अपलोड करेगा उसे ही उसका लाभ मिलेगा; बाद में लिंक अपलोड करने वाले शिक्षक को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

- एक अध्याय/टॉपिक से संबंधित कई लिंक इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे हर लिंक को पहली बार अपलोड करने वाले शिक्षक को लाभ मिलेगा।
- अपलोड किये जाने वाले ई–कंटेंट किस राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों के पाठ्यक्रम से हैं, इसका उल्लेख किया जाना होगा।
- पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के लिंक को अपलोड करने पर उन्हें पुरस्कार/प्रोत्साहन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2– **शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित किये जाने वाले ई–कंटेंटः–**

शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित किये जाने वाले ई–कंटेंट को भी पुरस्कार/प्रोत्साहन में सम्मिलित किया जायेगा।

- यह कन्टेन्ट शिक्षक द्वारा तैयार किये जायेंगे, इसका मौलिक होना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए मौलिकता/आई0पी0आर0 प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य नहीं है। शिक्षक किसी पुस्तक की मदद से कन्टेन्ट को रूचिकर रूप में प्रदर्शित कर सकता है, इस परिस्थिति में उसे पुस्तक को सन्दर्भित करना आवश्यक होगा।
- ई–कंटेंट के प्रथम पेज पर अस्वीकरण (disclaimer) के रूप में स्व–घोषणा (self declaration) होना अनिवार्य है। स्वघोषणा न होने पर ई–कंटेंट को पुरस्कार/प्रोत्साहन हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- पुस्तकों/हस्तलिखित नोट्स स्कैन कर अपलोड करने वाले ई–कंटेंट को पुरस्कार/प्रोत्साहन हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शिक्षक ई–कंटेंट को टाइप कराकर अपलोड करें अथवा ऑडियो/विडियो स्वरूप में अपलोड करें।
- शोध पत्रों/शोध कार्यों की ई बुक को ई–कंटेंट के रूप में अपलोड करने पर उन्हें पुरस्कार/प्रोत्साहन हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3– अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधिक से अधिक ई–कन्टेन्ट उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करने का कश्ट करें।

भवदीया,

14/9

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2170 (1)/सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या– 2154 / सत्तर–3–2020–08(40) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनॉक: 11 सितम्बर, 2020**

विषय:–उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी के सुदृढ़ करने हेतु माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2140 / सत्तर–3–2020–08(40) / 2020, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि ई–कन्टेन्ट पोर्टल दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को प्रयोगात्मक रूप से क्रियाशील कर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जायेगा। छात्रों के हित में ई–कन्टेन्ट को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक ई–कन्टेन्ट उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी अवधि में दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक पोर्टल पर अपलोड किये गये कुल ई–कन्टेन्ट के आधार पर 04 श्रेणियों में संस्थाओं को प्रोत्साहित / पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है :–

(क) राज्य और निजी विश्वविद्यालयों की कैटेगरी,
(ख) राज्य विश्वविद्यालयों की कैटेगरी,
(ग) महाविद्यालयों की कैटेगरी,
(घ) नोडल विश्वविद्यालयों की कैटेगरी,

2– उक्त 04 श्रेणियों के अतिरिक्त विद्यादान माह में अधिक–से–अधिक गुणवत्तापरक ई–कन्टेन्ट डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड करने के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहित / पुरस्कृत करने हेतु निम्न 02 श्रेणियों में भी पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) विषयवार कैटेगरी–प्रत्येक विषय में सबसे अधिक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने वाले 02 शिक्षक।

(ख) सभी विषयों की कैटेगरी–पूरे प्रदेश में सब से अधिक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने वाले 10 शिक्षक।

उक्त श्रेणी में पुरस्कार / प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय एवं सभी महाविद्यालयों के शिक्षक अर्ह होंगे।

3– अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधिक से अधिक ई–कन्टेन्ट उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2154 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।